45

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट
R 5162-II/17 कोर्ट रीवा (म0प्र0)

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs. 30/-

1— चित्रकूट राम दुबे | तनय प्रद्युम्नराम दोनो निवासी ग्राम
2— प्रकाशनारायण दुबे | गड़हरा, तह0 जिला सिगरौली (म0प्र0)

———आवेदकगण

प्रदि0 श्री रजनीश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत 13-4-17

बनाम

1— राजाराम | तनय दुनियापति राम सभी निवासी ग्राम
2— वेदान्ती प्रसाद | गड़हरा, तह0 जिला सिगरौली (म0प्र0)
3— बबुआ राम

———अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा दिनांक 03/03/78 वावत् प्रकरण क0-221/अ-6/74-75 अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रकिया एवं अभिलेख के विपरीत है ।

2— यह कि विवादित भूमियां आवेदक की पैत्रिक सहदायिकी भूमियाँ है जिनका विधिवत् नामांतरण आवेदक के बाबा वंशगोपाल के हक में तारीख 26/02/73 को जरिये प्रकरण क0-13/अ-6/70-71 पारित किया गया जिसकी अपील अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवसर/सिगरौली के यहां अपील प्रकरण क0-29/72-73 पेश की गयी, परंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनावेदक द्वारा दायर अपील दिनांक 22/01/75 को खारिज कर दिया तब अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग

14. 116. 1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5162–दो/17 निगरानी जिला – जिला सिंगरोली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। 2/ यह निगरानी अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 221 अ–6/1974–75 अपील में पारित आदेश दिनांक 3–3–1978 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर में दिनॉक 13–4–17 को प्रस्तुत की गई है। 3/ अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि आवेदक के पिता ने कभी कोई राजीनामा नहीं किया था। अनावेदक ने फर्जी कार्यवाही करके अपर आयुक्त से आदेश पारित कराया है एंव 38 साल वाद विधि विरूद्व मामला निष्पादन को पेश किया है जिस पर से कमिश्नर न्यायालय में नकल हेतु दिनांक 10–4–17 को आवेदन दिया किन्तु नकल प्राप्त नहीं हो सकी। जानकारी के दिनांक से निगरानी समयावधि में मान्य की जावे। 4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 3–3–1978 की जानकारी आवेदक को 39 वर्ष तक क्यों नहीं हो सकी, आवेदक के	

अभिभाषक कारण बताने में सफल नहीं रहे है। अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में जानकारी का श्रोत एंव 38 वर्ष के विलम्ब का समाधान–कारक कारण भी नहीं बताया गया है जिसके कारण 39 वर्ष के विलम्ब को क्षमा करना द्वित्तीय पक्ष को प्रोद्भूत मूल्यान अधिकारों से बंचित करने की श्रेणी में माना जावेगा।

5/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण इसी–सतर पर समाप्त की जाती है।

सदस्य